सं0सं0–6/N-08-78/2017........

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

राज्य के सरकारी प्रक्षेत्र में, विभागीय आदेश ज्ञापांक–1161(6), दिनांक–14.12.2017 के द्वारा 05(पाँच) नव निर्मित जी0एन0एम0 प्रशिक्षण विद्यालयों यथा (1) जी0एन0एम0 स्कूल, सासाराम, (2) जी0एन0एम0 स्कूल, जहानाबाद, (3) जी0एन0एम0 स्कूल, शेखपुरा, (4) जी0एन0एम0 स्कूल, सहरसा, (5) जी0एन0एम0 स्कूल, बांका को एवं विभागीय आदेश ज्ञापांक–1160(6), दिनांक–14.12.2017 द्वारा 10(दस) नव निर्मित ए0एन0एम0 प्रशिक्षण विद्यालय यथा (1) ए0एन0एम0 स्कूल, शिवहर, (2) ए0एन0एम0 स्कूल, खगड़िया, (3) ए0एन0एम0 स्कूल, लखीसराय, (4) ए0एन0एम0 स्कूल, लक्ष्मीपुर, जमुई, (5) ए0एन0एम0 स्कूल, रजौली, नवादा, (6) ए0एन0एम0 स्कूल, दाउदनगर, औरंगाबाद, (7) ए0एन0एम0 स्कूल, मैरवा, सिवान, (8) ए0एन0एम0 स्कूल, भभुआ, कैमुर, (9) ए0एन0एम0 स्कूल, त्रिवेणीगंज, सुपौल, (10) ए0एन0एम0 स्कूल, जाले, दरभंगा को मान्यता प्रदान की गई है।

2–उक्त नर्सिंग प्रशिक्षण विद्यालयों के लिए बिहार कोषागार संहिता संशोधन, 2011 के नियम–84 के तहत संबंधित जिले के सिविल सर्जन को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है।

3–प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(राधेश्याम साह)
सरकार के अपर सचिव।
स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक :– 595(6) पटना, दिनांक:– 04/07/2018

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, सचिवालय मुद्राणालय (प्रशाखा) वित्त विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वैदा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमण्डल के क्षेत्रीय अपर निदेशक/संबंधित जिला के सिविल सर्जन/संबंधित जिला के कोषागार पदाधिकारी/संबंधित ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 स्कूल के प्राचार्य/प्राचार्या को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–01) के आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के निजी सहायक को सूचनार्थ/आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

4/7/18

सरकार के अपर सचिव।

E/Rakesh/Arun jee/Letter